44

विलम्ब...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्र. III/विविध/सिंगरौली/भू.रा/2017/3775 /2017

1. हरिवंश प्रसाद पुत्र श्री माधव वैसवार, निवासी– ग्राम पिपरा, तहसील चितरंगी, जिला सीधी (म.प्र.)
2. रोहणी प्रसाद पुत्र श्री नर्वदा प्रसाद, निवासी– सुरुआ, तहसील सिंगरौली जिला सिधी (म.प्र.)
3. मुस. शांतीदेवी बेवा श्री घनश्याम प्रसाद पाठक,
4. विक्रम पाठक पुत्र स्व. श्री घनश्याम प्रसाद पाठक, अवयस्क द्वारा संरक्षिका माँ मुस. शांतीदेवी बेवा श्री घनश्याम प्रसाद पाठक,
5. वेदान्ती प्रसाद पुत्र श्री हीरामणि पाठक,
6. वंश गोपाल पाठक पुत्र श्री हीरामणि पाठक,
7. रघुनंदन प्रसाद पाठक पुत्र श्री हीरामणि पाठक,
8. राजीव लोचन पाठक पुत्र श्री हीरामणि पाठक, निवासीगण– ग्राम दुरुआ तहसील सिंगरौली जिला सीधी (म.प्र.)

--**आवेदकगण**

श्री विनोद भार्गव अभि० द्वारा आज दि. 9-10-17 प्रस्तुत

क्लर्क ... 9-10-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दिनांक 16-10-17

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
09-10-2017

विरुद्ध

1. लालमणि पुत्र बल्देव पनिका, निवासी– ग्राम पिपरा तहसील चितरंगी, जिला– सीधी (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला सीधी (म.प्र.)

--**अनावेदकगण**

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी

माननीय महोदय,

आवेदकगण का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1236–दो/2007 प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 06/09/2017 को आदेश पारित किया गया।

2. यहकि, आदेश के पैरा 2 अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 55/अ-23/86-87 में पारित आदेश दिनांक 26/10/1987 की जगह आदेश दिनांक 26/10/2007 माननीय इस न्यायालय द्वारा लिपकीय त्रुटिवश टंकित हो गया है।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि न्याय हित में आवेदन स्वीकार कर आदेश में पारित आदेश दिनांक 26/10/2007 की जगह दिनांक 26/10/1987 टंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया ज़ाये।

निवेदक

ग्वालियर

दिनांकः 09/10/2017

हरिवंश प्रसाद व अन्य---**आवेदकगण**

द्वारा अभिभाषक

आर. डी. शर्मा,

विनोद भार्गव एवं अमित भार्गव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

III / विविध / सिंगरौली / भू0रा0 / 2017 / 3775

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–11–2017	श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 का प्रकरण कमांक निगरानी 1236–दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 06–9–2017 में टायपिंग त्रुटि को सुधार किये जाने बावत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत मूल निगरानी के आदेश दिनांक 06–9– 2017 के पैरा 2 में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26–10–1987 की जगह आदेश में दिनांक 26–10–2007 टंकित हो गया है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आदेश में दिनांक 26–10–2007 के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26–10–1987 पढ़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग होगी। (एस0एस0अली) सदस्य	